



**The Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes)
(Repeal) Act, 2026**

Act No. 18 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 920) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-18/2026-6288/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 18, 2026]

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अधिनियम, 2026
 बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (समय-समय पर यथा
 संशोधित) का निरसन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम “बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अधिनियम, 2026” कहा जा सकेगा।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. निरसन एवं व्यावृत्ति।-

- (1) बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अधीन किया गया या की गयी समझा या समझी जाएगी और बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के निरसन के चलते किये गए कुछ भी या की गई किसी कार्रवाई की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

- (2) बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026 (बिहार अध्यादेश 04, 2026) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बासनों शंकर मेहरोत्रा,

सरकार के विशेष सचिव।

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-18/2026-6289/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमत बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 18, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बासनों शंकर मेहरोत्रा,

सरकार के विशेष सचिव।

[Bihar Act 18, 2026]
Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes)
(Repeal) ACT, 2026

AN
 ACT

to repeal the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (as amended from time to time).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy seventh year of the Republic of India as follows: -

1. Short title and commencement.—

- (1) This Act may be called the "Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (Repeal) Act, 2026".
- (2) It shall come into force the date of publication in the Official Gazette.

2. Repeal and Saving.—

- (1) Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) is hereby repealed.

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to be done under the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 and validity of anything done or any action taken shall not be questioned due repeal of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010.

- (2) Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (Repeal) Ordinance, 2026 (Bihar Ordinance No.- 04, 2026) is hereby repealed

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the power conferred by or under this Act as if this Act were in force on the days on which such thing was done or action taken.

BASNO SHANKER MEHROTRA,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 920-571+400-डी0टी0पी0।
 Website: <https://egazette.bihar.gov.in>